



मुख्य आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER

वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

GOODS & SERVICE TAX & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005

EMAIL: ccu-cexjpr@nic.in

(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

Telefax: 0141-2385130

स्थापना आदेश संख्या: 81 / 2021

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियमों/अनुदेशों के अनुसरण में, निम्नवर्णित, अधीक्षक, गुप-ब (राजपत्रित), के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस, को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें उनके नाम के सम्मुख वर्णित तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि
1	सुनील गुप्ता , अधीक्षक (जन्मतिथि- 30.09.1964)	नियम 48 (1)	16.06.2021	07.10.2021
2	रामावतार मीना, अधीक्षक (जन्मतिथि- 01.03.1965)	नियम 48 (ए)	28.06.2021	30.09.2021

-हस्ता.-

(चन्द्र प्रकाश गोयल)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. आयुक्त, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर को उनके कार्यालय के पत्र फा. सं. II/ (33)/36/2020-ESTT-O/o COMMR-CGST-ALWAR दिनांक 12.07.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधीक्षकों को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी/विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, अग्रिम, ऋण अथवा विभागीय हथियार इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात उपरोक्त अधीक्षकों को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/ अंकेक्षण,जयपुर/ अंकेक्षण,जोधपुर/ अपीलस जयपुर /अपील्स जोधपुर/ सीमा शुल्क, जोधपुर (मुख्य.- जयपुर)।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
5. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी एवं के. उ. शु. , जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी प्रति- (I) श्री सुनील गुप्ता , अधीक्षक, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर एवं (II) श्री रामावतार मीना, अधीक्षक, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/संबंधित एसोसिएशन/सूचना पट्ट।

(चन्द्र प्रकाश गोयल)

प्रधान आयुक्त